न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 36/2023 GCMS No.—2023/55

1. नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री रावत सिंह
2. बने सिंह पुत्र स्व. श्री रावत सिंह
3. जयसिंह पुत्र स्व. श्री रावत सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रावत सिंह
5. श्रीमती श्रीकंवर धर्मपत्नी स्व. श्री रावत सिंह
   जाति राजपूत निवासी भावगढ बंधा मोड, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

गोपीराम पुत्र श्री गंगाराम जाति रैगर, निवासी ग्राम हीरापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय/आदेश तहसीलदार सांगानेर दिनांक 19.04.2023 (प्रार्थना पत्र संख्या 02/21 उनवानी गोपीराम बनाम रावत सिंह व अन्य) अर्न्तगत धारा 183बी

उपस्थितः–
1. श्री हिमांशु सोगानी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र चौहान उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 21.12.2023

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2021 बउनवानी गोपीराम बनाम रावत सिंह अर्न्तगत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधि0 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.06.2023 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र चौहान उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। रेस्पा0 द्वारा तहसीलदार सांगानेर के समक्ष अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 एवं उनके पिता रावतसिंह को अप्रार्थी बनाते हुए यह अंकित करते हुए प्रस्तुत किया कि ग्राम खो नागोरियान तहसील सांगानेर स्थित भूमि

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

साबिक खसरा नंबर 1118 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिनके हाल खसरा नंबर 1369 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1373 रकबा 0.11 है0, 1375 रकबा 0.91 है0 व खसरा नंबर 1376 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 रकबा 1.09 है0 हुए है में से उसने 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि सन् 1997 में शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दी एं 10 बिस्वा भूमि श्योनाथ मौर्य द्वारा बिरदाराम मौर्य को सन् 1995 में बेचान कर दी एवं 4 बिस्वा भूमि रोड में चली गयी थी इस प्रकार उसके पास कुल 1 बीघा भूमि ही बची जिसे प्रार्थना पत्र के सलंग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। गोपीराम ने आवेदन में यह दर्ज करते हुए कि अपीलांट ने दिनांक 01.12.2013 को उक्त भूमि में से खसरा नंबर 1373 कुल 10 बिस्वा में दुकाने बना ली और खसरा नंबर 1375 कुल 10 बिस्वा में कुछ भाग पर बाउण्ड्रीवाल बनवाली और कब्जा कर लिया और चूंकि उक्त प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिये अप्रार्थीगण को उक्त भूमि में से अप्रार्थी को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। रेस्पा0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 183 बी तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट की बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुनी गयी। अपीलांट ने दिनांक 23.01.2023 को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्तियों पर बहस सुन कर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया परन्तु उस पर भी विचार किये बिना विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष रेस्पा0 ने वाद प्रस्तुत किया उसमें अपीलाधीन आराजीयात पर अपना कब्जा होना अंकित करते हुए प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष रेस्पाडेन्ट द्वारा चाहा गया है। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष रेस्पाडेन्ट गोपीराम द्वारा नियमित वाद (वाद संख्या 05/13) प्रस्तुत किया हुआ है उसमें रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र में जो अभिवचन अंकित किये हुये है उसमें वर्णित तथ्य तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183बी में वर्णित तथ्य परस्पर विरोधाभासी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183बी में रेस्पाडेन्ट ने उक्त भूमि कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि शान्ति गृह निर्माण सहकारी समिति व बिरदाराम मौर्य को विकय किया जाना जाहिर किया है। रेस्पाडेन्ट अपनी सम्पूर्ण भूमि 12 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हस्तान्तरित कर चुका है और रेस्पा0 का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार व कब्जा नहीं है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेन्ट को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार होना मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने के वजह से निरस्तनीय है। रेस्पाडेन्ट द्वारा स्वयं अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा 1 बीघा भूमि का अपीलांट के पिता को बेचान किया जाना स्वीकार किया है जिसके संबंध में दस्तावेज पत्रावली में शामिल मिसल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि वे किस आधार पर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

वादी/रेस्पाडेन्ट को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार होना मान रहे है। राजस्व भू अभिलेखो में हो रहे इन्द्राजात अथवा रेस्पाडेन्ट के कथन मात्र से विवादग्रस्त भूमि का कृषक होना नहीं माना जा सकता। तहसीलदार सांगानेर ने प्रकरण के तथ्यों का कोई परीक्षण नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 02/2021 बउनवानी गोपीराम बनाम रावत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पा. संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम खो नागोरियान, तहसील सांगानेर में स्थित है। अपीलांट ने रेस्पा0 की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जिसका उसको कोई हक व अधिकार नहीं था। जिसके संबंध में रेस्पा0 द्वारा तहसीलदार सांगानेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 19.04.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट मे भी रेस्पा0 की खातेदारी भूमि पर मकानात, दुकानात, व बाउण्ड्रीवाल वगैरहा विभिन्न लोगो के बने हुये है। रेस्पा0 ने अपनी खातेदारी भूमि का बेचान नहीं किया है साथ ही अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत पट्टे फर्जी है जिनके संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण जैर अनुसंधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पा. संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183बी अर्न्तगत राज0 काश्तकारी अधि0 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को खसरा नंबर 1373, 1375 में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार बेदखली के आदेश दिनांक 19.04.2023 को पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं रेस्पाडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आराजीयात का बेचान अपीलांट के पिता एवं सहकारी समितियों को पूर्व में कर दिया गया था। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.02.2022 को उपस्थित हुये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को रेस्पा0 द्वारा बेचान की गयी भूमि किस–किस को बेचान की गयी है इस संबंध में दस्तावेज एवं ट्रेस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

साईट प्लान की प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 14.12.22 को निर्देशित किया। जिसके कम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2023 अनुसार ग्राम खोनागोरियान के खसरा नंबर 1375 रकबा 0.91 है0, 1369 रकबा 0.04 है0, 1373 रकबा 0.11है0, 1376 रकबा 0.03 है0 वर्तमान जमाबंदी अनुसार गोपी पुत्र गंगाराम जाति रैगर के नाम दर्ज है एवं मौके पर खसरा नंबर 1373 रकबा 0.11 है0 में दुकाने, कमरे बने हुए है व खसरा नंबर 1375 रकबा 0.91 है0 में दुकाने, भूखण्ड, कॉलोनी, मकानात व प्लाटस बने हुए है, एवं बेचान संबंधी दस्तावेज पटवारी हल्का के पास अनुपलब्ध होना बताया है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाधीन आराजीयात रेस्पाडेन्ट गोपीराम पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसके संबंध में कोई ऐतराज अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया गया एव ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई ऐतराज अपीलांट द्वारा किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये इकरारनामा रेस्पाडेन्ट द्वारा भूमि का बेचान सहकारी समिति एवं अपीलांट के पिता स्व.रावत सिंह को किया जाना जाहिर किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अपनी भूमि का बेचान या हस्तान्तरण केवल अनुसूचित जाति के सदस्य को ही कर सकता है इसलिए तहसीलदार सांगानेर ने अपीलाधीन निर्णय में उक्त बेचान विधि अनुसार शून्य एवं निष्प्रभावी माना है। वर्तमान में अपीलाधीन आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पाडेन्ट के नाम से दर्ज है एवं रेस्पाडेन्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है इसलिए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के तहत पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार उभयपक्षों की सुनवाई कर प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर